

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

संख्या-03/बजट-01-17/2026/...../आ0प्र0

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

पटना-23, दिनांक-

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष-2245-02-101-0003-संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान में रु० 44.00 लाख एवं व्यय शीर्ष-2245-02-104-0001-चारे की पूर्ति में रु० 11.68 लाख अर्थात् कुल रु० 55.68 लाख (पचपन लाख अड़सठ हजार रुपये) आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:-स्वीकृत।

2. इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02-बाढ़, चक्रवात आदि, लघुशीर्ष-101-आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष-0003-संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान तथा लघुशीर्ष-104-चारे की पूर्ति, उपशीर्ष-0001-चारे की पूर्ति मांग संख्या-39, विपत्र कोड-39-2245021010003 एवं 39-2245021040001 के अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. पूर्व/वर्तमान आवंटित राशि की विवरणी निम्न प्रकार है :-

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	जिला	2245-02-101-0003-संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान, विषय शीर्ष-37 01-अनुग्रह अनुदान (बाढ़ के मददेनजर)		2245-02-104-0001-चारे की पूर्ति, विषय शीर्ष-35 01-नगद/वस्तु (बाढ़ के मददेनजर)		आवंटन का कुल योग	
		पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि
1	खगड़िया	0.00	0.00	0.00	11.68	0.00	11.68
2	अररिया	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00
	कुल	0.00	44.00	0.00	11.68	0.00	55.68

4. उक्त आवंटित राशि से जिला पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक-880 दिनांक-17.09.2026 एवं अररिया के पत्रांक-1284 दिनांक-14.09.2026 के माध्यम से की गई अध्याचना के आलोक में बाढ़ के मददेनजर व्यय किया जाएगा।

5. आवंटित की गई राशि की निकासी Fully Vouched Bill के माध्यम से की जाएगी।

6. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक-2561वि० (2) दिनांक-17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(मो० नदीमुल गफ्फार सिद्दीकी)

अपर सचिव

ज्ञापांक-03/बजट-01-17/2026/185/आ0प्र0, पटना-23 दिनांक- 25.09.2026

प्रतिलिपि-

1. वित्त विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
3. संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला पदाधिकारी, अररिया एवं खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के वरीय प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
7. आई0टी0 मैनेजर/प्रोग्रामर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार को विभागीय Web Site पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. श्री अमन कुमार, प्रोग्रामर, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव